शिक्षा सचिव ज्योति अरोड़ा ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

भ्रष्ट मंगला का हुआ निष्कासन

फ़रीदाबाद (म.मो.) पिछले अंकों में आप पढ चुके हैं कि कैसे राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16 ए फ़रीदाबाद की प्रिंसिपल भगवती राजपूत ने वन विभाग से मिलकर कॉलेज की लाखों रुपये की लकड़ी बेच दी व 7-8 पेड़ भी कटवाकर बेच दिये। इस काम को अंजाम देने वाला था चमन प्रसाद मंगला- प्रिंसिपल दफ़्तर में डिप्टी सुपरिटेडेंट। इस सम्बंध में कॉलेज के चौकीदार ने 'सी.एम. विन्डो' पर शिकायत की थी जिसपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

पिछले दिनों जब **'मज़दूर मोर्चा'** ने श्रीमती ज्योति अरोड़ा, डी.जी.एच.ई., को इस बारे में सूचित किया तो पता चला कि नीचे वाले चोरों ने फ़ाइल तो उन तक पहुंचने ही नहीं दी है। जब उनको पूरा मामला समझ आया और सारे सबूत दिये गये तो उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस सम्बंध में जांच के लिये फ़ाइल नीचे एक उपनिदेशक को भेज दी गई है। इस बीच यह भी पता चला है कि ऊपर से पड़ी डांट के फलस्वरूप प्रिंसिपल ने सभी हटाये गये कर्मचारियों को वापिस ले लिया है।

डी.जी.एच.ई. ज्योति अरोड़ा के आदेशों के फलस्वरूप चमन प्रकाश मंगला का तबादला भी दूर करने की अनुशंसा कर दी गयी, हालांकि उसकी रिटायरमेंट को सिर्फ़ 6 महीने बचे थे। लेकिन महान तिकड़मबाज़, जुगांडू और रिश्वतखोर चमन प्रकाश ने अपना तबादला बगल के ही नेहरू कॉलेज में करवा लिया। बता दें कि नेहरू कॉलेज में सिर्फ़ दो ही डिप्टी-सुपरीटेंडेंट की पोस्ट है और दोनों पर दो नियमित कर्मचारी पहले ही तैनात हैं। ये उच्च अधिकारियों को देखना चाहिये कि एक कॉलेज में 2 की जगह तीन-तीन डिप्टी सुपरीटेंडेंट और बगल के ही कॉलेज में एक भी नहीं। जबकि उस कॉलेज में और कोई नियमित क्लर्क भी नहीं बस जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है।

लेकिन भाजपा के लिये पढाई जाय भाड़ में, उन्हें तो अपने चोर कर्मचारियों को बचाने से मतलब है। अब जब 'सी.एम विंडो' पर शिकायत और जांच कमेटी द्वारा दोषी ठहराये जाने के बावजूद मंगला को सलाखों के पीछे भेजने के बदले मलाईदार पोस्टिंग दे दी गयी है तो स्पष्ट हो गया है कि भाजपा का कमल पूरी तरह से कीचड़ में धंस चुका है। इस घटना ने 'सी.एम.विंडो' नाम की चोंचलेबाजी का भी पर्दाफ़ाश कर दिया है। अगर आपके किसी मंत्री या संतरी से सम्बन्ध है तो सी. एम. विंडो.आपके लिये एक कूड़ेदान से ज्यादा कुछ महत्व नहीं रखती।

लेकिन 'मज़दूर मोर्चा' उन सभी कर्मचारियों को सलाम करता है जो सच्चाई पर डटे रहे और वापस अपनी नौकरी पर आ गये। भ्रष्टाचार के तूफान के आगे ईमानदारी और सच्चाई के दीये को बुझने नहीं दिया।

अब देखना है कि क्या चमन प्रकाश मंगला के हाथ इतने लम्बे है कि वे न्याय पाने की इन कोशिशों का गला घोंट पायेंगे? देखना ये भी है कि हरियाणा के अधिकारियों एवं मन्त्रियों का जमीर कितना नीचे गिर चुका है।

क्योंकि इस आरटीआई में मांगी गई जानकारी से प्रिंसिपल, वन विभाग और मंगला की चोरी उजागर होती है, इसलिये आवेदक को आरटीआई वापिस लेने के लिये हर तरह से डराया धमकाया जा रहा है।

डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के रहमो-करम से पहले पार्षद और फ़िर डिप्टी मेयर बने मनमोहन गर्ग अपने क्षेत्र वासियों से ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे देश के प्रधानमंत्री बन गये हों।

उनके चुनाव क्षेत्र सेक्टर 14 के एक 92 वर्षीय बुजुर्ग श्री जेएल कपूर ने कहीं से उनका मो. नम्बर (9810020038) प्राप्त करके उन्हें फ़ोन लगाया। करीब 10 दिन तक तो फ़ोन लगा ही नहीं। कभी स्विच ऑफ़, कभी व्यस्त, कभी घंटी जाने पर काट देना या उठाना ही नहीं। लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। आखिर एक दिन 'महामहिम' गर्ग साहब ने फ़ोन सुन ही लिया। बुजुर्गवार ने उन्हें बताया कि उनके मकान नं. 733 सेक्टर 14 वाली पूरी लाइन का सीवर ब्लॉक है। कृपया इसे चालू करा दें।

इतना सुनकर 'महामहिम' भड़कते हुए बोले कि आपको पता है यह सीवर लाइन कितनी पुरानी है? कपूर साहब ने बताया कि सब को पता है करीब 40 वर्ष पूर्व जब यह सेक्टर बना था तभी सीवर लाइन भी डली होगी। यानी 'महामहिम' किस बद्तमीज़ी से पूछ रहे हैं कि सीवर लाइन कब डली थी, जैसे वे खुद तो किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, जबकि वे खुद भी इसी सेक्टर 14 के निवासी हैं।

डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग

इतना ही नहीं कपूर साहब का जवाब सुनकर झल्लाते एवं फटकारते हुए 'महामहिम' ने फ़र्माया कि जब सीवर लाइन इतनी पुरानी हो गयी है तो जाम तो रहेगी ही और इस जाम के लिये भी आप लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। आप लोग अपनी सीवर लाइन की देख-भाल अच्छे से नहीं करते। कनेक्शन ठीक से नहीं जोड़ते, मैनहोल के ढक्कन तोड़ते रहते हो और सीवर लाइन में कबाड़ा भरते रहते हो।

विदित है कि कनेक्शन करना व ढक्कन लगाना नगर निगम का दायित्व है न कि निवासियों का। सीवर की यही एक लाइन नहीं बल्कि तमाम सेक्टरों की अधिकांश लाइनें जाम रहती हैं जिन्हें समय-समय पर निगम कर्मचारी आकर चालू करते हैं। यहां सबसे खास बात यह भी है कि कोई भी सीवर लाइन 10-20 वर्ष के लिये नहीं बल्कि सैंकड़ों वर्षों के लिये डाली जाती है और यह तभी ठीक चलती है जब इसे डालने वालों ने ईमानदारी से डाला हो और चलाने वाले नेता व अफ़सर मोटा कमीशन न काट रहे हों।

आधे-अधूरे वाइएमसीए अंडरपास का उद्घाटन मंत्री गूजर को तो नारियल फ़ोड़ने से मतलब

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत सप्ताह स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने वाइएमसीए के सामने राजमार्ग पर बने एक अंडरपास का, नारियल फ़ोड़ कर उद्घाटन किया। गत लगभग 6-7 वर्षों से चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य को अब से 3 वर्ष पूर्व सम्पन्न हो जाना चाहिये था। चार साल से सत्ता में बैठे मंत्री गूजर को इस लेट-लतीफ़ी पर शर्मशार होने की बजाय, आये दिन पूरी बेशर्मी से नारियल फ़ोड़ने में पूरा आनंद आता है।

उन्हें शायद यह भ्रम है कि उनके इस कर्म काण्ड से जनता प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा अपना प्रतिनिधि चुन लेगी। इसी भ्रम के चलते उन्होंने इस अंडरपास को पूरा भी नहीं होने दिया। अभी इसकी एक तड़फ़ की (बल्लबगढ से दिल्ली को जाने वाली) सड़क ही बनी थी कि नारियल लेकर आ पहुंचे। इससे भी कहीं दुखद बात तो यह है कि मंत्री जी की जल्दबाज़ी के चलते यह एकतरफ़ा सड़क भी सही ढंग से नहीं बन पाई थी। इसे सही बनाने के लिये जितना समय चाहिये था वह मंत्री जी के पास नहीं था। लिहाज़ा उद्घाटन के अगले ही दिन सारी सड़क उखड़ गयी, रोड़ियां इधर-उधर बिखरने लगी।

दरअसल मंत्री जी शायद चाहते थे कि एक ही अंडरपास का उद्घाटन वे दो बार करें। इन दोनों उद्घाटनों के बीच एक वाजिब सा अन्तर रखने देने के चलते यह जल्दबाज़ी की गयी थी। इस अवसर पर गूजर के अलावा विधायक सीमा त्रिखा व अन्य लग्गुए-भग्गुओं के अलावा कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी अपना समय बर्बाद करने को उपस्थित थे।

उद्घाटन अवसर की फ़ोटो मीडिया में प्रकाशित करा कर ये नेतागण जनता को बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिये कितने बड़े कद्दू में तीर मारा है। विदित है कि इस पूरे राजमार्ग के कार्य में सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसके निर्माण कार्य पर होने वाले कुल खर्च से चार गुणा ज्यादा जनता से टोल टैक्स द्वारा गत 7 वर्षों से वसूला जा चुका है। हां सरकार में बैठे नेताओं का इतना योगदान जरूर है कि वे ठेकेदार (रिलायंस) कम्पनी द्वारा की जा रही लूट में से अपना हिस्सा जरूर वसूल रहे हैं।

निगमायुक्त और उपायुक्त भिड़े

निगम अफ़सरों के घपले रोज हो रहे उज़ागर, एफ़आईआर दर्ज कराने की धमकियों से आगे कब बढ़ेंगे निगमायुक्त शाईन?

फ़रीदाबाद (म.मो.) निगम द्वारा कराये गये सर्वे में बड़ी संख्या में फ़ार्म हाउस तथा अवैध कॉलोनियां एवं निर्माण सामने आये हैं। इन्हें लेकर निगमायुक्त ने एक पत्र उपायुक्त को लिख कर जानकारी मांगी कि ज़मीनों की रजिस्ट्रियां किन-किन तहसीलदारों ने की थी तथा उन सभी ज़मीनों का रिकार्ड भी उन्हें उपलब्ध कराया जाय।

उधर उपायुक्त ने ऐसे किसी पत्र के मिलने से ही इन्कार करते हुए कहा कि यदि निगमायुक्त को ऐसा कोई रिकार्ड चाहिये भी तो वे सीधे संबंधित तहसीलदार से मांग सकते हैं।

वैसे देखा जाय तो ऐसा कोई रिकार्ड होता ही नहीं जिसे निगमायुक्त को उपायुक्त से मांगना पड़े। निगम के पास अपना तहसीलदार व पटवारी आदि समेत पूरा अमला होता है। जहां तक सर्वेक्षण में सामने आये फ़ार्म हाउसों व अवैध कॉलोनियों का सवाल है, निगम को पूरे एवं व्यापक अधिकार हैं उन्हें नोटिस जारी करने के, उनके वैधता प्रमाणपत्र मांगने के, उन्हें सील करने और तोड़ देने के। ऐसे में अपने स्तर पर कोई कार्यवाही करने के बजाय फ़िजूल के पत्रव्यवहार में मामले को उलझाने का कोई लाभ नहीं हो सकता।

सभी जानते हैं कि जब निगम का बुलडोज़र किसी के ठिकाने पर आता है तो वह अपने तमाम काग़ज़ात-दस्तावेज़ आदि तुरंत लेकर हाजिर होता है। इनमें सबसे प्रमुख दस्तावेज ज़मीन की रजिस्ट्री होता है। इसे देखकर स्वत: पता लग जाता है कि रजिस्ट्री कौन सी तारीख में किस तहसीलदार ने की थी। यह काम उपायुक्त के बजाय स्वयं निगमायुक्त को ही करना होता है।

यहां एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि जब तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी तो उस पर निर्माण करने का अधिकार किस निगम अफ़सर ने दिया? रजिस्ट्री कभी भी किसी को निर्माण करने का अधिकार नहीं देती। यह तो निगमायुक्त को ही तलाशना होगा कि उनके किन अफ़सरों ने अवैध निर्माण कार्य करवाये?

'मज़दूर मोर्चा' बरसों से मांग करता आ रहा है कि अवैध निर्माण करने व कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज करा कर तोड़-फ़ोड़ के नाम पर होने वाले भारी भरकम खर्च व भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। लेकिन अब पहली बार निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने एफ़आईआर दर्ज कराने की बात तो की है लेकिन वास्तव में दर्ज कुछ नहीं हुआ। नीलम रेलवे फ्लाईओवर की बगल में मारुति शो रूम के मालिक ताराचंद सलूजा ने फ्लाईओवर के नीचे बरसों से जो कब्ज़ा कर रखा था, उसे लेकर सलूजा व निगम के सम्बन्धित अफ़सरों के विरुद्ध एफ़ आईआर दर्ज कराने की धमकी तो दी गयी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कारण बताया गया कि सलूजा ने अवैध कब्ज़ा छोड़ दिया। लेकिन यह आधा सत्य है। सलूजा का कबाड़ा अभी भी वहीं पड़ा है तथा एक गार्ड वहां लगातार ड्यूटी पर रहता है। इतना ही नहीं अपने शो रूम के सामने वाली सड़क पर जो अवैध पार्किंग सलूजा ने बना रखी है उसे हटाने से अधिकारी क्यों घबराते हैं? इसके अलावा जिन अधिकारियों ने कब्जे को होने दिया उनके खिलाफ़ तो कार्यवाही करना बनता ही था।

जनता से टैक्स उगाही को लेकर भी **'मज़दूर मोर्चा'** लगातार लिखता आ रहा है कि उगाही करने वाले अफ़सरान भारी घोटाला कर रहे हैं जिसके चलते वास्तविक राजस्व का मात्र एक तिहाई भी वसूली नहीं हो पा रहा। मोहम्मद शाइन ने इस तरफ़ तवज्जो दी और बाकायदा ऑडिट टीम लाकर बैठा दी। परिणामस्वरूप आये दिन 2-4 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, परन्तु घोटाले करने वाला एक भी अधिकारी अभी तक हवालात नहीं पहुंचा। डिफ़ाल्टरों को नोटिस जारी करने से उम्मीद बंधी है कि निगम को बड़ी मात्रा में बकाया राजस्व मिल पायेगा।

अब देखना यह है कि उम्मीद वास्तव में ही साकार हो पाती है या खाली नोटिसों के लेन-देन तक ही एक स्कैंडल में सीमित हो कर रह जायेगा।

आज जनता तपती हवाओं के बीच जब पीने के पानी को तरस रही है तो निगमायुक्त ने पेयजल की आपूर्ति करने वालों को पानी माफिया बताकर उनके कारोबार को बंद कर दिया। उनके गहरे ट्यूबवैलों से मोटरें तक खींच निकाली गयी।

हो सकता है, इस धंधे में लगे हजारों लोग कुछ अवैध तरीका भी अपनाते हों, हो सकता है उनके पास कोई लाइसेंस न हो। हो सकता है नगर निगम की कोई औपचारिकताएं पूरी करने की अपेक्षा ये निगम के भ्रष्ट अफसरों को चुग्गा पानी देकर काम चला रहे हों। परन्तु निगमायुक्त को कानून कायदे लागू करने का यही वक्त जब लोग बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। फिर भी यदि उनको यह सब करना ही था तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं की?

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना किसी भी नगर निगम की सर्वप्रथम दायित्व होता है। यदि नगर निगम अपने इस दायित्व को सही ढंग से निभाते तो किसी को पागल कुत्ते ने थोड़े ही काटा है जो पानी इन माफियाओं से खरीद कर पीये।

प्रदूषण फैलाती सरकार ने लोगों से 'फिट' रहने को कहा!

दिल्ली (म.मो.) केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने देश को फ़िट रहने का चैलेंज दिया जिसे और चापलूसों ने तो हाथों-हाथ लिया ही हमारे नौटंकी प्रधानमंत्री ने भी उसे लपक लिया। उधर तमिलनाडु में अपनी हैल्थ के लिये शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस से गोली चलवाई जा रही है। क्या मोदी की फ़िटनेस, फ़िटनेस है और तूतीकोरिन के लोगों की फ़िटनेस देशद्रोह?

उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस ने गोली सेल्फ़ डिफेंस यानी अपने बचाव में चलाई। अब जब आपको सब पता ही है तो ये न्यायिक जांच का ढोंग किसके लिये कर रहे हो?

तमिलनाडू सरकार ने हाईकोर्ट से अपना, मृतकों के शव सुरक्षित रखने का, आदेश वापस लेने की प्रार्थना की (ताकि पुलिस द्वारा हत्या के सबूत मिटाये जा सकें!) अरे भाई तुम्हें क्या दिक्कत है शव, जो कि अब एक सबूत है, उन्हें सुरक्षित रखने में जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। ध्यान रहे कि शवों पर लगी गोलियों की जांच से ये पता चलेगा कि गोली कितनी दूर से चली, कहां लगी और क्या पुलिस के हथियार से चली। इसी से तय होगा कि गोली पुलिस ने अपने बचाव में चलाई या कुछ खास लोगों को मारने के लिये। यानी क्या राज्य सरकार सबूतों को मिटाना चाहती है?